आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

एफः 3 (परिपत्र)आकाशि/एसीआर/19/193

दिनांकः 16/7/19

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि प्राचार्यों द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग/अशैक्षणिक स्टॉफ का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर आयुक्तालय को नहीं भिजवाया जाता है अपितु मंगवाने पर या विलंब से भिजवाया जाता है। जिससे पदौन्नति/चयनित वेतनमान आदि से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब होता है। जो एक गंभीर विषय है।

अतः समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त मंत्रालयिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के समस्त कॉलमों की पूर्ति (मय अपने नाम, पदनाम व महाविद्यालय की मोहर सहित) कर सत्र समाप्ति (1 जुलाई से 30 जून) के 30 दिवस (30 जुलाई तक) में प्रतिवर्ष भिजवाया जाना सुनिश्चित् करें।

उक्त संवर्ग के कर्मचारियों के **वर्तमान सत्र** 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन **एवं पूर्व सत्रों** का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यदि कोई बकाया हैं तो वह भी निर्धारित अवधि दिनांक 30 जुलाई 2019 तक भिजवाया जाना सुनिश्ति करे अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

16/7/19

(दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, संयुक्त निदेशक, प्रशासन ।
3. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड़ करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)